Remand

न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 11/2019-20

आवेदक / प्रथम पक्ष – 1. गोपाल राम वो 2. रन्थु राम दोनो पिता स्व0 गणेश राम वो 3. भूपल राम गौंझू वो 4. सिकन्दर राम गौंझू दोनों पिता युधिष्ठिर राम गौंझू वो 5. निरासो देवी पति स्व0 महाबीर राम वो 6. सकेन्द्र राम गौंझू पिता स्व0 बलराम गौंझू वो 7. सिद्धार्थ राम गौंझू पिता स्व0 सरवन राम गौंझू वो 8. दिलेश्वर राम गौंझू वो 9. कालेश्वर राम गौंझू दानों पिता स्व0 चन्द्र राम गौंझू
सभी ग्राम–जलटंडा, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी।

विपक्षी / द्वितीय पक्ष – अंचल अधिकारी, खूँटी।

आदेश का क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
20.04.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।	

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–1456R27 / 18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.19 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना / थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
गुटजोरा	खूँटी 230	100	533	0.38
		100	1225	0.25
		100	1228	0.27
		101	1393	0.10
		102	437	0.04
		102	439	0.17
		102	441	0.17
		102	446	0.06
		102	454	0.26
		102	553	0.10
		102	574	0.30
		102	627	0.16
		102	630	0.11
		102	634	0.12
		102	645	0.22
		102	828	0.21
		102	1297	0.41
		102	1355	0.98
		102	1409	0.24
		102	1415	0.15
		102	1424	0.84
		102	1436	0.42
		102	1449	0.84
		102	1469	0.04
		102	1472	0.30
				7.14

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक कथन करते है कि मौजा–गुटजोरा थाना–खूँटी के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 7.14 एकड़ है जिसे आपसी बँटवारानामा से प्राप्त किया है।

आवेदक द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय, खूँटी में आवेदन दाखिल किया जिसका वाद सं0 1456R27 / 18-19 पड़ा।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार आपसी पंच बँटवारानामा में एक

अंश दार निराशो देवी पति स्व0 महाबीर राम गौंझू का हस्ताक्षर नहीं होने के कारण उत्तराधिकारी नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

अधिवक्ता ने बहस दौरान बताया कि आपसी बँटवारानामा के अंतिम पृष्ठ के क्रमांक 20 पर निराशो देवी का हस्ताक्षर अंकित है। साक्ष्य के रूप में आपसी बँटवारानामा की छायाप्रति दाखिल की गयी है जो अभिलेख में संलग्न है। अंचल अधिकारी द्वारा आपसी बँटवारा देखे बिना ही नामांतरण अस्वीकृत की गयी है जो न्यायसंगत नहीं है। अंत में वाद स्वीकृत करने का प्रार्थना करते है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन करने के पश्चात् अंचल अधिकारी, खूँटी को **Remand** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से आपसी बँटवारा की प्रति प्राप्त करते हुए मूल प्रति से मिलान कर दाखिल खारिज करने हेतु विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई की जाय।

लेखापित एवं संशोधित

20/04/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

20/04/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।